संख्या:10/2020/996/12-2-2020-बजट.7/2010

प्रेषक,

राधेश्याम,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवामें,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 29 मई, 2020

विषय: संकर बीजों के उपयोग को बढावा देने की योजना (राज्य सेक्टर) के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या: एस0एफ0/07-जी/लेखा-2/सं0बीज अनु0/2020-21 दिनांक 15 अप्रैल, 2020 तथा पत्र संख्या: एस0एफ0/62-जी/सं0बीजअनु0/2020-21 दिनांक 21 मई, 2020 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-103-बीज-05-संकर बीजों के उपयोग को बढावा देने की योजना के मानक मद-27-सब्सिडी के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए प्राविधानित धनराशि रूपये 2000.00 लाख के सापेक्ष माह मई एवं जून तक व्यय हेतु रूपये 10.00 लाख (रूपये दस लाख मात्र) की धनराशि श्री राज्यपाल आपके निवर्तन पर निम्न शर्तो के अधीन रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर किसी बैंक/डाक घर में जमा नही किया जायेगा।
(2) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस मद/कार्य हेतु दी जा रही है, उसका उपयोग उन्ही मदों/कार्यो में किया जायेगा। अन्य किसी मद अथवा कार्य हेतु यह अनुमन्य नहीं होगा।
(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय इसी वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित किया जायेगा।
(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एक मुश्त न करते हुए अपितु आवश्यकतानुसार अथवा फेजिंग में किया जायेगा।
(5) आंकडों की शुद्धता का दायित्व कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश का होगा।
(6) यह सुनिश्चित किया जाये कि इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी हो।
(7) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 24 मार्च, 2019 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों, शासनादेश दिनांक 07 अप्रैल,

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2020, 11 अप्रैल, 2020, दिनांक 18 मई, 2020 तथा शासनादेश संख्या: बी-1-1195/दस-16/94 दिनांक 6 जून, 1994 द्वारा निर्गत आदेशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2. कृपया उक्त निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राधेश्याम)
अनु सचिव।

संख्या:10/2020/996 (1)/12-2-2020 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4. वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, लखनऊ।
5. प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम, फैजाबाद रोड, महानगर, लखनऊ द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. अपर कृषि निदेशक, (बीज एवं प्रक्षेत्र), उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/बजट अनुभाग-1/2/कृषि अनुभाग-5/नियोजन अनुभाग-3/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राधेश्यम)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।